न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 11/2024

अपीलार्थी

छगनलाल पुत्र चौथीबाई पत्नी अचलाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– वैधनाथ वसाहट कॉलोनी, सिरोही, हाल– खाम्बल, तहसील व जिला– सिरोही (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही
2. गणेशराम पुत्र हरिरामजी, जाति– मेघवाल, निवासी– दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही
3. नारायणलाल पुत्र हरिरामजी, जाति– मेघवाल, निवासी– दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही
4. मोहनलाल पुत्र हरिरामजी, जाति– मेघवाल, निवासी–दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही के वारिसान एवं कायम मुकाम :–

4/1. पवनी पत्नी मोहनलालजी, जाति–मेघवाल, निवासी– दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही

4/2. शिवानी पुत्री मोहनलालजी, जाति– मेघवाल (नाबालिग)

4/3. सेजल पुत्री मोहनलालजी, जाति– मेघवाल (नाबालिग)
नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता पवनी पत्नि मोहनलालजी, जाति– मेघवाल, निवासी– दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही, तह0 व जिला– सिरोही

5. खंगाराराम पुत्र धरमाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही
6. वरदाराम पुत्र धरमाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही
7. थानाराम पुत्र नथुबाई पत्नी सकाजी, जाति–मेघवाल, निवासी–दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही
8. दिनेश कुमार पुत्र नथुबाई पत्नी सकाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही
9. कान्तिलाल पुत्र नथुबाई पत्नी सकाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही
10. विशाल पुत्र नथुबाई पत्नी सकाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही
11. कमलेश पुत्र नथुबाई पत्नी सकाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही
12. दरिया पुत्री नथुबाई पत्नी सकाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही तहसील व जिला सिरोही (राज.)।
13. सुशीला पुत्री नथुबाई पत्नी सकाजी, जाति– मेघवाल, निवासी–दक्षिण मेघवाल वास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री रमेश माली, प्रत्यर्थी संख्या 3, 4/1 से 4/3, 5, 6, 8 से 13 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक 10 अक्टूम्बर, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम– सिरोही II, पटवार हल्का सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1827 दिनांक 25–6–1992 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन व नोटिस जारी किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या –1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा प्रत्यर्थी संख्या 3, 4/1 से 4/3, 5, 6, 8 से 13 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश माली उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 व 8 से 13 की ओर से जबाव प्रस्तुत किया। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 7 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुए। उक्त अपील व प्रार्थना पत्र, अपीलार्थी छगनलाल तथा सुखीबाई पुत्री धरमाजी पत्नी मोडाराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– दक्षिणी मेघवालवास, सिरोही द्वारा प्रस्तुत की गई थी, लेकिन अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी सुखीबाई की मृत्यु हो जाने से इस प्रकरण में अपीलार्थी सुखीबाई के स्थान पर प्रत्यर्थी छगनलाल को संयोजित किया गया। तद्नुसार संशोधित अनवान शीर्षक प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम सिरोही, पटवार हल्का सिरोही द्वितीय में खसरा संख्या 3358 से 3362 कुल कित्ता 5 रकबा 4–0100 हेक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है, जिसके पुराने खसरा संख्या 2583 से 2587 कुल कित्ता 5 रकबा 24 बीघ 15 बिस्वा है। उक्त भूमि अपीलार्थी के नाना अर्थात् अपीलार्थी की माता के पिता स्वर्गीय श्री धरमा पुत्र नगाजी के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की थी, जिसमें स्वर्गीय श्री धरमा पुत्र नगाजी का 5/6 पाँच बटा छटा हिस्सा खातेदारी हक अधिकार व कब्जे का था। श्री धरमा पुत्र नगाजी मेघवाल की मृत्यु के बाद उनके खातेदारी की कृषि भूमि उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी पत्नि, पुत्रगण तथा पुत्रीयों को प्राप्त हुई तथा वे सभी बराबर बराबर हिस्से के खातेदार बने। श्री धरमा पुत्र नगाजी की मृत्यु पर उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज किया गया, जिसमें धरमाजी की पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं किया जाकर केवल मात्र उनके पुत्रगण व पत्नी का नाम ही दर्ज किया गया है। श्री धरमा पुत्र नगाजी की मृत्यु पर दायर उक्त नामान्तकरण विधि अनुसार नहीं होने के कारण अपीलार्थी छगनलाल व सुखीबाई पुत्री धरमाजी द्वारा उक्त नामान्तकरण आदेश को इस अपील के जरिए चुनौती दी गई, लेकिन अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी सुखीबाई पुत्री धरमाजी की मृत्यु हो जाने से उसके पर अपीलार्थी छगनलाल को संयोजित किया गया है। यह कि श्री धरमा पुत्र नगाजी मेघवाल की मृत्यु के बाद श्री धरमा पुत्र नगाजी मेघवाल के प्रथम श्रेणी के वारिसान जीवीत थे, जिनको वादग्रस्त भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। श्री धरमा पुत्र नगाजी मेघवाल के वारिसान में उनकी पत्नी गजीबाई एवं पुत्रगण हरिराम, खंगाराराम, वरदाराम व पुत्रीयां सुखीबाई, नथुबाई व चौथीबाई है, जिसमें से श्री धरमा के पुत्र हरिराम की मृत्यु हो जाने से उनके वारिस रम्बादेवी (पत्नी) एवं नारायणलाल, मोहनलाल, गणेशराम (पुत्र) है तथा श्री धरमा की पुत्री नथुबाई के वारिसान प्रत्यर्थी

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

संख्या 7 से 13 है। यह कि स्वर्गीय धरमाजी की मृत्यु पर उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण दायर किया गया, जिसमें धरमाजी की तीनों पुत्रीयों के नाम बतौर वारिस दर्ज नहीं किया गया है. जबकि स्वर्गीय धरमाजी मेघवाल की पुत्रीयां सुखीबाई, नथुबाई व चौथीबाई भी धरमाजी की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी तथा वारिस थी। नथुबाई व चौथीबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके पिछे अपीलार्थी छगनलाल तथा प्रत्यर्थी संख्या 7 से 13 वारिस एवं उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पत्ति में पुत्री का भी समान अधिकार है, इस कारण से श्री धरमाजी की तीनों पुत्रियां भी उक्त सम्पत्ति में पुत्रगण व माता के समान अधिकार रखती है तथा अपीलार्थी की माता चौथबाई व उनकी बहनों का नाम भी नामान्तकरण के जरिए राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 ने अपने प्रभाव से नामान्तकरण में अपीलार्थी की माता का नाम दर्ज नहीं होने दिया तथा अपीलार्थी की माता व उनकी बहनों के हक हिस्से की भूमि को हडप करने के आशय से उक्त आपराधिक कृत्य किया है। अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों व कर्मचारीयों द्वारा भी उक्त नामान्तकरण की विधि अनुसार जाँच नहीं की गई तथा बिना जॉच किए ही अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नम्बर 7217/2013 प्रकाश व अन्य बनाम फूलवती व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16–10–2015 में अंकित तथ्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया एवं यह व्यक्त किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 में पिता की सम्पति में पुत्रियों का भी समान रुप से अधिकार मानते हुए पुत्रियों को भी पिता की सम्पति में पुत्र के समान अधिकार दिये है। इस प्रकार, अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों एवं विधिक दृष्टान्त 2005(1)DNJ (Rev.) 573 में अंकित तथ्यों व डी.एन.जे. 2014(1) पेज 577 गोविन्दसिंह बनाम रामविलास में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलार्थी की माता व अपीलार्थी के पीठ पीछे भरा गया है, जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया तथा न ही कोई जानकारी दी गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 द्वारा द्वारा भूमि विक्रय करने की बातचीत चलने की चर्चा लोगों से अपीलार्थी द्वारा सुनी जाने पर अपीलार्थी छगनलाल ने तहसील कार्यालय, सिरोही में जानकारी की तो पता चला कि धरमाजी की मृत्यु के बाद विरासत के नामान्तरकरण में उनकी पुत्रियों का नाम दर्ज नही किया गया है तो उसी दिन नकल हेतु आवेदन कर नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की तथा अपीलार्थी छगनलाल व सुखीबाई ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 से उनका नाम दर्ज करवाने हेतु अनुरोध किया जिस पर अपीलार्थी को आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद भी नाम दर्ज नही करवाने से यह अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी की लापरवाही या बदनियति नही रही है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब स्वभाविक है, इसलिये न्यायहित में विलम्ब की अवधि को कन्डोन कर अपील को अन्दर मियाद लिया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जावे तथा अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम– सिरोही II, पटवार हल्का सिरोही के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1827 दिनांक 25–6–1992 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, सिरोही को मृतक खातेदार धरमा पुत्र नगाजी के सभी विधिक वारिसान के पक्ष में पुनः नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत करने हेतु आदेशित किया जावे। जबकि बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 व 8 से 13 के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश माली ने प्रत्यर्थीगण

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के जबाव में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त माननीय उच्चतम न्यायायल द्वारा स्पेशल लीव पीटीशन (सिविल) नम्बर 31248/2018 PATHAPATI SUBBA REDDY (DIED) BY L.Rs. & other Versus THE SPECIAL DEPUTY COLLECTOR (LA) में पारित निर्णय दिनांक 08 अप्रेल 2024 में अंकित तथ्यों तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 से 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि वास्तव में उक्त कृषि भूमि का खसरा संख्या 3358 से 3362 कुल किता 5 है। उक्त कृषि भूमि में स्वर्गीय धरमाजी पुत्र नगाजी का हिस्सा 5/6 सही होने से स्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा जिस नामान्तरकरण आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है उस नामान्तरकरण की संख्या एवं दिनांक का कोई हवाला अपील व धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में नही दिया गया है। तत्समय दिनांक 25—06—1992 को वैध एवं प्रभावी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त नामान्तरकरण दायर एवं स्वीकृत हुआ है तथा तत्समय प्रभावी उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्रियों को पिता की सम्पति में कोई हक नही थे। पैतृक व पिता की सम्पति में पुत्रियों को वर्ष 2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद हक अधिकार दिये है, जबकि प्रश्नगत नामान्तरकरण वर्ष 1992 में स्वीकृत हुआ है जो कानूनन वैध एवं सही है जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील लगभग 11,599 दिन अर्थात् 31 वर्ष 9 माह 3 दिन के विलम्ब से बिना किसी वैध कारण को बताए हुए पेश की गई है जो प्रथम दृष्टया काबिल खारिज है। स्वर्गीय धरमाजी के प्रथम श्रेणी के वारिसान का अपील में अंकित पीढ़ी पत्रक सही है। अपीलार्थी द्वारा स्वर्गीय धरमाजी के प्रथम श्रेणी के वारिसान के पीढ़ी पत्रक में यह स्वीकार किया है कि रम्बा देवी पत्नी हरिराम, जो कि स्वर्गीय धरमाजी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है एवं वर्तमान में रम्बादेवी जीवित है लेकिन अपीलार्थी ने रम्बादेवी को अपील में पक्षकार नहीं बनाकर कानूनन भारी भूल की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से संबंधित भूमि पैतृक सम्पति नही होकर मृतक खातेदार धरमा जी पुत्र नगाजी मेघवाल की स्वअर्जित भूमि है, जो उन्होनें पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24—6—1975 से कीमतन क्रय की थी। इसी भूमि के संबंध में अपीलार्थी द्वारा सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जो सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में लम्बित है जिसके लम्बित रहते हुए अपीलार्थी की अपील परिपोषणीय नही है। हक अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद में हक अधिकारों की घोषणा करवाकर ही हो सकती है। इस अपील के माध्यम से खातेदारी अधिकारों को तय नही किया जा सकता है, जिससे यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 व 8 से 13 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि विवादित नामान्तरकरण अपील पेश करने से लगभग 31 वर्ष 9 माह 3 दिन पूर्व स्वीकृत किया गया था इतने वर्षों में अपीलार्थी छगनलाल व उसकी माता एवं सुखीबाई ने कभी भी प्रश्नगत नामान्तरकरण को चुनौती नहीं दी है। अपीलार्थी छगनलाल ने मात्र प्रत्यर्थीगण को हैरान परेशान करने के लिए उक्त अपील व प्रार्थना पत्र पेश किया है। विधि में नामान्तरकरण की जानकारी के मात्र 30 दिवस के भीतर नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है एवं विलम्ब में हुई देरी का पर्याप्त व उचित कारण (दिवस वार) का उल्लेख मय साक्ष्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम में करना अनिवार्य है, लेकिन अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब में हुई देरी के लिए कोई पर्याप्त कारण व उचित कारण का उल्लेख किये बिना ही गलत कथनों के आधार पर अपील व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील व प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया गया है कि तहसील कार्यालय से जमाबन्दी/ नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर अपीलार्थी को विवादित नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 11—10—2022 को हुई लेकिन प्रार्थीगण ने उक्त अपील इस न्यायालय में दिनांक 27—03—2024 को पेश की है जिसमें 534 दिन

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

अर्थात 1 वर्ष 5 माह 17 दिन की लम्बी देरी हुई है जो अपीलार्थी की घोर लापरवाही का नतीजा है तथा प्रार्थना पत्र में अपील में हुई देरी को माफ करने के लिए, देरी का कारण संतोषजनक और ठोस रूप से वर्णित होना आवश्यक है जिसके अभाव में देरी को क्षमा करना गैरकानूनी एवं प्रत्यर्थीगण के साथ घोर अन्याय होगा अतः उक्त अपील व प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं अपीलार्थी की अपील विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज की जावे। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता के कथनों के जबाव में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हुआ है जो सहायक कलेक्टर न्यायालय, सिरोही में लम्बित है, लेकिन पिता की सम्पति में पुत्रियों को वर्ष 2005 से पूर्व से ही पुत्र के समान हक अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम में दिये हुये है, लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण में मृतक खातेदार धरमा पुत्र नगाजी की पुत्रियों का नाम दर्ज नही होने से नामान्तरकरण को इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है व नामान्तरकरण को निरस्त करने अधिकार इस न्यायालय को ही है। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि मृतक धरमा जी पुत्र नगाजी मेघवाल की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, सिरोही द्वितीय द्वारा उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1827 दायर किया गया, जो तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 25—6—1992 को स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम सिरोही II, पटवार हल्का सिरोही के खसरा संख्या 3358 से 3362 कुल किता 5 रकबा 4—0100 हेक्टेयर भूमि, (जिसके पुराने खसरा संख्या 2583 से 2587 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा है) के सह खातेदार श्री धरमा पुत्र नगा जी, जाति—मेगवाल, निवासी— की मृत्यु के बाद उनके हक हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, सिरोही II द्वारा हरीराम, खंगाराराम, वरदाराम पिसरान— धरमा जी व गजी पत्नी धरमा जी, जाति— मेगवाल, निवासी— सिरोही के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1827 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 25—6—1992 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 1827 दिनांक 25—6—1992 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01—02—2024 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है। यह तथ्य सही है कि अपील प्रस्तुत करने की अवधि जानकारी तिथि से लागू होती है, न कि आदेश की तारीख से, लेकिन विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रुप से न्याय का उद्देशय हासिल करने का होना चाहिए। न्यायिक दृष्टान्तों एवं मियाद के बिन्दु पर विधि की मंशा की जहां पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहां न्यायालय को मियाद के बिन्दु पर नरम रुख अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय हेतु करना चाहिये। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 व 8 से 13 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी कृषि भूमि जिसमें मृतक खातेदार धरमा पुत्र नगाजी मेगवाल का 5/6 हक हिस्सा खातेदारी का था वह भूमि मृतक खातेदार

........पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

धरमा पुत्र नगाजी मेगवाल द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24—6—1975 से कीमतन क्रय की गई थी अर्थात् उक्त भूमि मृतक खातेदार धरमा पुत्र नगाजी मेगवाल की स्वअर्जित भूमि थी। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज व उभय पक्ष के कथनों से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि इसी भूमि के संबंध में अपीलार्थी द्वारा सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हुआ है जो सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में लम्बित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी एवं फिस्कल प्रोसीडिंग है, जिसके द्वारा भूमि पर स्वत्व एवं खातेदारी हक अधिकारों को तय नही किया जा सकता है। खातेदारी हक अधिकारों को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के माध्यम से ही तय किया जा सकता है। चूंकि सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद लम्बित है। ऐसी स्थिति में, उक्त राजस्व वाद के माध्यम से ही खातेदारी हक अधिकारों को तय करवाना चाहिये। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10 अक्टूम्बर, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही